कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

प्रसादी राणा **बनाम्** **प्रभु राणा वगैरह**

विविध वाद संख्या.......03......../2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

11-10-21

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक 546 दिनांक 25.09.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मौजा-कुदर, थाना नं0 10, खाता नं0 132 प्लॉट नं0 218 रकवा 0.8 एकड़ एवं प्लॉट नं0 221 रकवा 0.24 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा संबंधी विवाद है।

भूमि का विवरण निम्नवत् है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
कुदर	10	132	218	0.8 एकड़
कुदर	10	132	221	0.24 एकड़

अतः उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20.10.2021 .... को रखें।

11/10/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	विविध वाद सं० - 03/21-22 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर आदेश	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9/3/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तावित वाद आवेदक के आवेदन एवं अंचल अधिकारी बगोदर के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक के अनुसार मौजा-कुदर थाना सं०-10, खाता-132, प्लाट-218, रकबा 08 डी. एवं प्लाट-221 रकबा-24 डी. कुल रकबा 32 डी. का जमाबंदी हल्का में उपलब्ध रजिस्टर II के भोल्युम सं०-2, पेज नं.-132 में अवैध ढंग से अमृत राणा पिता उत्तिम राणा के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया है। सर्वे खतियान होरिल राणा पिता कुचु राणा के नाम से है। होरिल राणा की मृत्यु के पश्चात एक मात्र पुत्र प्रसादी राणा दखलकार हुये। मेरे गोतिया अमृत राणा पिता स्व० मेरा नाम काटकर अपना नाम चढ़वा लिया तथा सरकारी रसीद अपने नाम से कटवा लिया। आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति, पंजी-II की छायाप्रति, वंशावली की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद सं०- 169018) दाखिल किया गया।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया तथा मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रथम पक्ष के प्रसादी राणा का प्रश्नगत जमीन के सम्बन्ध में कोई माँग अंचल कार्यालय में कायम नहीं है। प्रथम पक्ष के पूर्वज होरिल राणा वल्द बुधु राणा के द्वारा खाता सं०-132, प्लाट सं०-218, रकबा-08 डी. एवं प्लाट सं०-221, रकबा-24 डी. कुल रकबा 32 डी. का लगान नहीं देने के कारण और लगान बकाया रह जाने के कारण अपने जमीन का इस्तीफा भूतपूर्व ~~मालिकान~~ जमींदार के समक्ष दिनांक 12.04.1941 को दे दिया गया। द्वितीय पक्ष के पूर्वज को ठाकुर बाघेश्वरी चरण सिंह के मालिक स्टेट भरगुल्ली द्वारा हुकमनामा के द्वारा रैयत घोषित किया गया। द्वितीय पक्ष हुकमनामा प्राप्त करने के पश्चात शांतिपूर्वक दखलकार हुये तथा लगातार लगान देते रहे हैं। अद्यतन लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सादा इस्तीफानामा की छाया प्रति,	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3 1	2	3

सादा हुक्मनामा की छाया प्रति, जमींदारी रसीद की छाया प्रति, अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत राजस्व रसीद सं०- 350045, दिनांक 28/03/2010 एवं रसीद सं०- 0846636985 दिनांक- 08-07-2021 दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा पत्रांक- 546 दिनांक- 25/09/21 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की है। खतियान में खतियानधारी का नाम हौरिल राणा दर्ज हुआ है। खतियान में वल्द कुच्छु राणा अंकित है। उक्त भूमि की जमाबंदी अमृत राणा पिता उत्तम राणा के नाम पंजी-II में अंकित है। उसी पंजी-II में प्रसादी राणा पिता चमन राणा का नाम भी अंकित होकर क्रॉस का चिन्ह अंकित किया हुआ है। पूर्व में प्रसादी राणा का भूमि पर दखल-कब्जा था। वर्तमान में भूमि परती है।

द्वितीय पक्ष के दाखिल सादा उल्लेखनामा की छाया प्रति का अवलोकन किया। उल्लेखनामा के मजमून में सम्वत 1999 का उल्लेख है जबकि Christian AD कलेण्डर में 12-4-1941

आदेश या कार्यवाही की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अंकित है। जबकि 1999 का समतुल्य वर्ष 1942 होता है। इस प्रकार दाखिल हुआ उत्तीधानामा संदेहास्पद प्रतीत होता है। दाखिल सादा हुक्मनामा की छायाप्रति एवं प्रथम रसीद के छाया प्रति का अवलोकन किया तथा उनका आपसी मिलान किया। हुक्मनामा में सम्वत् 2002 अंकित है तथा प्रथम रसीद में वर्ष 2002 (सम्वत्) की वसूली तिथि 1-4-46 अंकित किया गया है। कलेण्डर के अनुसार अप्रील 1946 विक्रम सम्वत् का वर्ष 2003 होगा। सामान्य तौर पर लगान की वसूली उसी वर्ष विशेष में होती थी न कि उसके अगले वर्ष। इस प्रकार दाखिल हुक्मनामा एवं रसीद में साम्यता नहीं है। अतः यह दस्तावेज भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। जमींदारी उन्मूलन के तुरन्त बाद को कोई लगान रसीद द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। दाखिल लगान रसीद दिनांक 28.3.2010 का है जिसमें 1991-92 से 2019-20 तक लगान एक मुश्त वसूला गया है। दाखिल पंजी-II की छाया प्रति का अवलोकन किया। पंजी-II को कटिंग कर द्वितीय पक्ष का नाम अंकित	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	किया गया है तथा किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश का अंकन नहीं है। इस प्रकार यह मांग पंजी में छेड़-छाड़ का मामला प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आलोक में ~~द्वितीय~~ प्रथम पक्ष के दलील संतुष्ट होकर पूर्व जमाबन्दी अर्थात् प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को कायम करने का आदेश देता हूँ तथा द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को निरस्त करता हूँ। साथ ही अंचल अधिकारी बगोदर को आदेश दिया जाता है दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाई करें। इस आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को हस्तगत करावें। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 9/3/22 LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.29 12:36:26 +05:30
Location: 192.168.1.7